

थान भरका

कायालय दिवगी

जी.ई.एन. 12

5/6/2020

प्लावली आज जजार्थीगण की डीई से वकील श्री JPL, द्वारा जा0 प्र श्रीधर सुनवाई हेतु प्रस्तुत काल पर मूल वाद के साथ पेश हुई। प्लावली दि० 24/6/2020 को पेश हो।

उपखांड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/6/2020

प्लावली पेश। वकील उमप पम उपा। जकाव पेश किया जो 21/07 को किया प्लावली निमत दि० 8/7/2020 को पेश हो।

उपखांड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

02/07/2020

प्लावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील उमप पमकाराग को डालाज दिलाई गई, वकील जार्थीगण को खार-खार डालाज दिलागे के उपरांत श्री न्यायालय समय में इस उकरण में उपस्थित नहीं हुए। वकील जार्थी उपा को सुना गया, जि.होने जोहिय किया कि मीके पर विमाजन पम तैयार किया जा चुका है तथा जार्थीगण की इस्तदुकी अनुसार वादीगण का वाद मुताबिक विमाजन पम डिप्टी किया गया है अतः जा0 प्र जार्थीगण स्वामीं किया जाने योग्य है।

प्लावली का खिलोकन किया। जार्थीगण द्वारा ग्राम सेमलीहार के खाता सं. 15 व मूल खिता 9 की 25.17 बीघा आबारी में बिना राजकीय विमाजन किये अजार्थी No 1, 2, 3 व चान ना करे व अज ले कराये व अजार्थी No 4 उक्त आबारी के वचान का तदीकना करे व रेकार्ड की सथाअि वनाप रखने की इस्तदुकी की थी जिस पर जार्थीगण को एक पक्षीय सुना जाकर अस्थापी निषेधासा दि० 9/6/2020 को जारी की गई थी। जार्थीगण/वादीगण की इस्तदुकी अनुसार मूल वाद में मुताबिक पाश्र्विदुडिडी विमाजन पम प्राप्त हो चुका है जिस पर वादीगण No 1, 5, 6, 7 व 8 के सहमती के हस्ताक्षर होने के कारण वाद वादीगण फाईमल डिप्टी किया गया है। वाद वादीगण निर्धारित हो जाने के कारण इस जार्थी पम पर अन्य किसी प्रकार की कोई आवश्यकता उत्पन्न न होने कारण जारी डालाज निषेधासा दि० 9/6/2020 अनात की जाकर जार्थी पम निस्तारित किया जाता है।

उपखांड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड